

मेरे द्वारा दिनांक 09.08.2023 को भेस्ट जाने एवं वापस आने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 464 किमी. की निजी यात्रा की गई जिसमें से 200 किमी. की छूट माह अगस्त 2023 में काटने के उपरान्त 264 किमी. का किराया मु. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 792/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 17.08.2023 को चालान संख्या HH00017 से जमा कर दिये गये हैं।

जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा  
जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम : भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा मथुरा  
उत्तर प्रदेश सरकार
- पता : प्रधान परिवार न्यायालय, मथुरा
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या :  
(यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : शासकीय वाहन प्रयोग धनराशि  
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।) 30 प्रो सरकार  
₹ 792/-
- चालान की सकल राशि : ₹ 792/-
- चालान की निवल राशि : ₹ 792/-
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर : 007060800050000
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यौरवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
00	70	60	800	05	00 00
					₹ 792/-
					/
					योग ₹ 792/-

धनराशि (शब्दों में) : (रुपये सात सौ नव्वे मात्र)

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रधान न्यायाधीश  
परिवार न्यायालय, मथुरा  
16-8-23

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :

HH00017

अंको में रू०	
शब्दों में रू०	

दिनांक :

792/-

16-8-23

प्राप्त किया  
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/  
बैंक की मुहर सहित